सं0-09/2016/10066/62-2-2015-2/3(06)/2015

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जनवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (नि:शुल्क बोरिंग योजना) में सामान्य कृषकों हेतु प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त धनराशि का जनपदवार फॉट संशोधित किये जाने के संबंध में।(जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-1648/ल0 सिं0/बजट-3/2015-16, दिनांक 22-12-2015 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला योजनान्तर्गत संचालित नि:शुल्क बोरिंग हेतु सामान्य योजना में प्राविधानित धनराशि `-3530.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश सं0-1470/62-2-2015-2/3(06)/2015, दिनांक 12-05-2015 द्वारा धनराशि `-1765.00 लाख एवं शासनादेश सं0-8285/62-2-2015-2/3(06)/2015, दिनांक 05-11-2015 द्वारा धनराशि `-1765.00 लाख, इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- शासनादेश दिनांक 05-11-2015 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के साथ्प संल्ग्न विवरण/जनपदवार फॉट को निम्नानुसार संशोधित करते हुए उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में नियोजन विभ्राागग द्वारा सूचित	पूर्व में बजट आवंटन (गत वर्ष के परिव्यय के आधार पर)	संशोधित बजट आवंटन	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	संशोधित अवमुक्त धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			परिव्यय				
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	संतकबीर नगर	412.65	580.00	171.01	185.43	171.01	185.43
2-	सिद्धार्थनगर	334.12	438.37	112.19	97.77	112.19	97.77
	योग-	**746.77**	**1018.37**	**283.20**	**283.20**	**283.20**	**283.20**

(रूपये दो लाख तिरासी हजार बीस मात्र)

4- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु सहायता (बोरिंग तथा पम्प सेट निर्माण हेतु अंश का 50 प्रतिशत अनुदान)(जिला योजना)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-09/2016/10066(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
4- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- संबंधित जिलाधिकारी।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त् जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।
8- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in